न्यायालय– अवर न्यायाधीश तृतीय, नरकटियागंज, पश्चिम चम्पारण

स्वत्व वाद संख्या :– 27/2021
CIS No. :– TS/27/2021
CNR :– BRWC22–000039–2021

रामजी चौधरी एवं अन्य बनाम् **राजदेव चौधरी एवं अन्य**

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
28.03.2022	अभिलेख पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर वादीगण व प्रतिवादीगण विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित। उपस्थित उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को प्रार्थनापत्र दिनांक 15.03.2022 पर सुना गया। **निस्तारण प्रार्थनापत्र दिनांक**–15.03.2022 वादीगण के द्वारा प्रार्थनापत्र दिनांक 15.03.2022 आदेश 22 नियम 4 सिविल प्रक्रिया संहिता समर्थित शपथपत्र प्रतिवादी संख्या 9 शेख लालबाबू की मृत्यु दिनांकित 21.12.2021 को हो जाने के पश्चात प्रतिवादी संख्या 9 शेख लालबाबू के स्थान पर उनके विधिक प्रतिनिधिगण को प्रतिस्थापित कराये जाने की याचना के साथ प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी संख्या 9 शेख लालबाबू के विधिक प्रतिनिधि 1–जमीला खातुन, 2–शेख कुफरान, 3–शेख एकलाक, 4–शेख भोला एवं 5– शेख एकबाल हैं। विपक्षीगण द्वारा आपत्ति दिनांक 28.03.2022 प्रस्तुत करके कथन किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 9 शेख लालबाबू की विधिक वारिसानों में तीन पुत्रियां भी हैं जिनका नाम वादीगण के द्वारा प्रार्थनापत्र दिनांक 15.03.2022 में अंकित नहीं किया गया है। अत: वादीगण का प्रार्थनापत्र खारिज होने योग्य है। उभयपक्षो के विद्वान अधिवक्तागण को सुना एवं अभिलेख का सम्यक परिशीलन किया। अभिलेख के सम्यक परिशीलन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 9 शेख लालबाबू की मृत्यु उपरान्त उपरोक्त प्रतिस्थापना प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें प्रतिवादी संख्या 9 शेख लालबाबू की मृत्यु की तिथि दिनांक	

न्यायालय– अवर न्यायाधीश तृतीय, नरकटियागंज, पश्चिम चम्पारण

स्वत्व वाद संख्या :– 27/2021
CIS No. :– TS/27/2021
CNR :– BRWC22–000039–2021

रामजी चौधरी एवं अन्य बनाम् **राजदेव चौधरी एवं अन्य**

लगातार **28.03.2022**	21.12.2021 अंकित है। उपरोक्त प्रार्थनापत्र शपथपत्र से समर्थित है। प्रार्थनापत्र समयावधि के अन्दर है। प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिवादी संख्या 9 शेख लालबाबू की लड़कियों का नाम अपने आपत्ति पत्र में उल्लेख नहीं किया गया है। अतः प्रार्थनापत्र दिनांकित 15.03.2022 न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है। **आदेश** प्रार्थनापत्र दिनांक–15.03.2022 स्वीकार किया जाता है। वादीगण वादपत्र में वांछित संशोधन/प्रतिस्थापना विधि द्वारा निर्धारित समयावधि के अन्दर करना सुनिश्चित करे तथा प्रस्ताविक विधिक प्रतिनिधि को संशोधित वादपत्र की प्रति के साथ तामीला हेतु पैरवी सुनिश्चित करे। अभिलेख वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक–08.04.2022 को पेश हो। (मानस कुमार) अवर न्यायाधीश तृतीय न्याय कक्ष–4 नरकटियागंज।	